

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12072024-255367
SG-DL-E-12072024-255367असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2024/आषाढ 20, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 98
No. 180]	DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2024/ASHADHA 20, 1946	[N. C. T. D. No. 98

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जुलाई, 2024

फा. सं. 1/45/2024-न्यायिक/अधी. विधि./1348-1352—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर प्रत्येक जिले में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के ऐसे अतिरिक्त/और अधिक संख्या के न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट आदेशों के अनुसार ऐसी तिथियों एवं ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

भरत पराशर, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 11th July, 2024

F.No. 1/45/2024-Judl. /Suptlaw/1348-1352—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs that within the territory of NCT of Delhi, such additional/further number of Courts of Judicial Magistrates of the First Class in every district, shall stand established, from such dates and at such places, as the High Court, may by order specify, from time to time.

By Order and in The Name of Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi

BHARAT PARASHAR, Principal Secy.